न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **191/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/426

1. श्री नन्दलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. श्री गोपीलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
3. श्री माधवलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसौल मावली जिला उदयपुर ।
4. श्री जगदीश पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री हिम्मतसिंह पिता भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. श्री धर्मेन्द्र पिता भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्रीमती आशादेवी पत्नी भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
4. श्री हरिसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
5. श्री पदमसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
6. श्री जोधसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
7. श्री महेन्द्रसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
8. श्री सज्जनसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर ।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 7

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 06.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 पेश कर निवेदन किया कि मौजा गुडली पटवार मण्डल गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 102 रकबा

4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर अंकित है। उक्त वर्णित आजियात के सेंटलमेंट से पूर्व के नम्बर साबिक आराजी नम्बर 544 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा थे और उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मौरूस श्री सरीलाल, टेकचन्द, भूरीलाल पिता धूलचन्द जी कोठारी महाजन ने दिनांक 09.05.1951 को हम वादीगण के बडे बा भैरूलालजी ब्राहम्ण को बिल एवज रूपये 500/– अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र में विकय कर कब्जा सुपुर्द किया था इसकी पुष्टि में 5/–रूपये के स्टाम्प पर सम्वत् 2007 में ही लिखापढी कर निष्पादित उस पर अपने हस्ताक्षर किये और तभी से उक्त भूमि पर हम वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही लगातार निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और हमारे ही कब्जे में होकर उपयोग उपभोग कर रहे है स्टाम्प की फोटो प्रति संलग्न कर पेश की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का सजरा खानदान पेश किया गया है। इसी तरह वादीगण का सजरा खानदान भी पेश किया गया है। कहा कि उक्त वर्णित आराजियात श्री सरीलाल एवम टेकचन्द के लाऔलाद फौत हो जाने से उक्त भूमि भूरीलाल जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता/दादा अकेले के नाम पर अंकित हुई और इनके फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 से 8 एवम 1 से 3 के पिता श्री भवरलाल कोठारी के नाम पर अंकित हुई और श्री भँवरलालजी के स्वर्गवास हो जाने पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर अंकित हुई। चूँकि हम वादीगण के बडे बा भैरूलाल जी के लाऔलाद फौत हो जाने पर हम वादीगण के पिता प्रतापजी उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी हुऐ और इनकी मृत्यु पश्चात हम वादीगण एकमात्र मालिक है और उक्त भूमि पर सम्वत् 2007 से अर्थात गत 60 वर्षों से लगातार निरन्तर हमारे पूर्वजो के समय से बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त कर रहे है और वर्तमान में भी हम वादीगणो का कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित है जिसे हम वादीगण अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित करवाने के अधिकारी है। कहा कि वादीगण का प्राईमाफेसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित आराजियात के बडे बा भैरूलालजी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मौरूस से सम्वत 2007 में 500/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और हमारे बडे बा भैरूलाल जी के लाऔलाद फौत होने पर उक्त भूमि के स्वामी हमारे पिताजी प्रतापजी हुऐ और प्रतापजी के स्वर्गवास के पश्चात हम वादीगण एकमात्र स्वामी है, सुविधा संतुलन भी हम वादीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि पर हम वादीगण सम्वत 2007 से हम वादीगण अपने पूर्वजो के समय से गत 60 वर्षों से अधिक समय से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

है और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर अंकित हो जाने से जो क्षति हम वादीगण को हो रही, है उसका मूल्यॉकन रूपयों पैसों में किया जाना असम्भव है, उक्त भूमि पर हम वादीगण के पिता व बडे बा ने लाखों रूपये खर्च किये तथा परिवार सहित श्रम किया । उक्त भूमि पर वर्तमान में भी हमारी फसल खडी है और उक्त भूमि हमारे नाम पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी ।

2. वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण अंतिम बार दिनाक 20.11.09 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त वाद वर्णित वर्णित आराजियात को वे अपने नाम पर अंकित होने से किसी अन्य को विक्रय कर देंगे और जबरन हमें बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हुऐ । वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
3. निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा जिसके सेटलमेंट से पूर्व के आराजी नम्बर 544 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा थे जिसे हम वादीगण के बडे बा भैरूलालजी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मौकस से सम्वत् 2007 में 500/– रूपये अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जिस पर हम वादीगण अपने पूर्वजो के समय से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के गत 60 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में भी हमारा कब्जा काश्त है, उक्त भूमि को हम वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित फरमा स्वतंत्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हमारे नाम पर अंकित फरमाई जावे और इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे। वाद पत्र के साथ श्री नंदलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली का शपथ पत्र पेश किया गया है।
4. प्रकरण के साथ वादीगण द्वारा दस्तावेजात बिकावनामा स्टाम्प रूपये 5/–अक्षरे रूपये पाँच मात्र दिनांक 09.05.1951 सम्वत् 2007 तकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 66. भू प्रबन्ध विभाग (सेटलमेंट) का खसरा सम्वत 2022 का पेश किया गया है।
5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–9 तहसीलदार मावली प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के सम्मन तामील हो जाने के बावजूद वे नियत पेशी दिनांक 21.12.09 को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.04.2010 को निर्णय पारित कर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.10.2011 न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने का निवेदन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.05.12 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 12.04.2010 खारिज करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. की अपील वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 19.09.2024 को निर्णय पारित करते वादीगण की अपील को खारिज किया गया तथा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 21.05.12 का यथावत रखते हुए उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2024 को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली की पेशी दिनांक 16.10.2024 रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त जायदाद सरीलाल, टेकचंद व भूरीलाल पिता धुलचंद के नाम दर्ज थी तथा इनके द्वारा वादग्रस्त जायदाद वादीगण के मौरूस भेरूलाल को 500 रूपये में विक्रय करने के तथ्य स्वीकार है। विक्रय दिनांक से वादग्रस्त भूमि भेरूलाल एवं उसके वारिसो के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है। सरीलाल व टेकचंद के ला औलाद फौत हो जाने से उक्त जायदाद भूरीलाल के नाम पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात वादीगण के नाम पर अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है। आराजी संख्या 102 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा जिसके पूर्व आराजी नम्बर 144 है, उक्त आराजीयात वादीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज होती है तो मुझ प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 का स्वीकारात्मक जवाब दावा होने से तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही है। साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया की एकतरफा साक्ष्यवादी पूर्व में करवाई जा चुकी है। पूर्व में साक्ष्य वादी के अन्तर्गत, गवाह पी.डब्ल्यू 1 नन्दलाल एवं पी.डब्ल्यू 2 श्री नारायनन्द ब्राहम्ण के शपथ पत्र पेश किये गये है। दोनों ही शपथ गहिताओं के द्वारा वाद की ताईद में शपथ पत्र पेश किये गये है। साक्ष्यवादी को अतिरिक्त बंद किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

7 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 का स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः स्वीकारात्मक जवाब होने से साक्ष्यप्रतिवादी नही करवानी है। साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया जावे।

6. प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 की बहस को सुना गया । अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रस्तुत.. दस्तावेजात का अवलोकन कराया गया। निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात को वादीगण के खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित फरमाई जाकर स्वतंत्र खाते फरमाई जावे । अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की प्रतिवादीगण के मौरूस द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय वादीगण के मौरूस भेरूलाल को विक्रय कर दिया गया।

7. हमनें विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा गुडली के आराजी नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 66 प्रदर्श–1 में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर अंकित है। जमाबन्दी भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग सम्वत् 2023 प्रदर्श–3 के अनुसार उक्त वर्णित आराजियात के सेंटलमेंट से पूर्व के साबिक आराजी नम्बर 544 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा थे। उक्त भूमि को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मौरूस श्री सरीलाल, टेकचन्द, भूरीलाल पिता धूलचन्द जी कोठारी महाजन ने दिनांक 09.05.1951 को वादीगण के बड़े बा भैरूलालजी ब्राहम्ण को बिल एवज रूपये 500/– अक्षरे रूपये पॉच सौ मात्र (प्रदर्श–1ऐ) में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था इसकी पुष्टि में 5/– रूपये के स्टाम्प पर सम्वत् 2007 में ही लिखापढी निष्पादित कर उस पर अपने हस्ताक्षर कियें और तभी से उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही लगातार निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और उनके ही कब्जे में होकर उपयोग उपभोग में है। जिसकी ताईद में साक्ष्य वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री नन्दलाल एवं पी. डब्ल्यू 2 श्री ताराचन्द ब्राहम्ण के शपथ पत्र पेश किये गये है। चूँकि उक्त आराजियात अब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है ईसलिये प्रतिवादीगण वादीगणों को ऐलानिया धमकी देते रहते है कि उक्त जमीन को हम किसी अन्य को विक्रय कर देंगे तथा आपको जमीन से बेदखल कर देंगे इस कारण से ही वाद कारण दिनांक 20.11.09 को उत्पन्न हुआ तथा निरन्तर जारी है। वादीगणों द्वारा कहा गया है कि उनके मौरूस द्वारा लाखों रूपये खर्च करके जमीन को आबाद हाल कि है यदि प्रतिवादीगण द्वारा जमीन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय कर दिया गया तो अवश्य ही वादीगणों को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्याँकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता। वादीगणों का प्राईमाफेसी केस है तथा सुविधा संतुलन भी वादीगणों के पक्ष में पाया गया है। प्रदर्श–1ए के अनुसार उक्त आराजियात का बिकाव सम्वत् 2007 में हुआ है अर्थात पिछले 60 वर्षो से ही वादीगणों के मौरूस तथा प्रतापजी के फौत होने के पश्चात से ही वादीगण उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

प्रकरण में मुख्य रूप से बिन्दु है कि प्रतिवादीगण के मौरूस के द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का विक्रय वादीगण के मौरूस द्वारा किया गया है या नही इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मौरूस श्री सरीलाल, टेकचन्द, भूरीलाल पिता धूलचन्द जी कोठारी महाजन ने दिनांक 09.05.1951 को वादीगण के बड़े बा भैरूलालजी ब्राहम्ण को बिल एवज रूपये 500/– अक्षरे रूपये पॉच सौ मात्र (प्रदर्श–1ऐ) में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था इसकी पुष्टि में 5/– रूपये के स्टाम्प पर सम्वत् 2007 में ही लिखापढी निष्पादित कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त विक्रय के संबंध में विक्रेता भूरीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर ताईद की है कि वादग्रस्त जायदाद सरीलाल, टेकचंद व भूरीलाल पिता धुलचंद के नाम दर्ज थी तथा इनके द्वारा वादग्रस्त जायदाद वादीगण के मौरूस भेरूलाल को 500 रूपये में विक्रय करने के तथ्य स्वीकार है। विक्रय दिनांक से वादग्रस्त भूमि भेरूलाल एवं उसके वारिसो के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है। सरीलाल व टेकचंद के लाऔलाद फौत हो जाने से उक्त जायदाद भूरीलाल के नाम पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात वादीगण के नाम पर अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है। इस प्रकार विक्रेता भूरीलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 6, 7 स्वयं ही स्वीकार कर रहे है कि वादग्रस्त भूमि उनके मौरूस द्वारा विक्रय की गई है ऐसे में क्रेता भेरूलाल क्रय दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। क्रेता भेरूलाल के लाऔलाद फौत हो जाने से उनके द्वितीय श्रेणी के वारिस खातेदार हो चुके थे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5, 8 को प्रकरण की जानकारी होने तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उभय पक्षकारान को न्यायालय हाजा में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने के पश्चात भी 6 माह तक न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने से जाहीर होता की उन्हें वाद स्वीकार है। यदि उनको कोई उजर लेना होता तो वे अवश्य ही न्यायालय हाजा में उपस्थित होते। इस प्रकार से वादीगण का वाद स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है । अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार मण्डल गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादीगण 1 से 4 को हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नन्दलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. श्री गोपीलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
3. श्री माधवलाल पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसौल मावली जिला उदयपुर ।
4. श्री जगदीश पिता प्रतापजी ब्राहम्ण निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री हिम्मतसिंह पिता भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. श्री धर्मेन्द्र पिता भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर
3. श्रीमती आशादेवी पत्नी भँवरलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
4. श्री हरिसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
5. श्री पदमसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
6. श्री जोधसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
7. श्री महेन्द्रसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
8. श्री सज्जनसिंह पिता भूरीलाल महाजन निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 191/24 (वाद) GCMS No. – 2024/426

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार मण्डल गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादीगण 1 से 4 को हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.06.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:19 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली